तेलंगाना की नई पट्टादार पासबुक: नक्शा, QR कोड और डिजिटल रजिस्ट्री

समाचार-संदर्भ: 27 नवंबर 2026

प्रकाशन: 28 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-II, ई-शासन; GS-III, भूमि सुधार



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

▼ इस लेख में

1. खबरों में क्यों
2. योजना की मुख्य बातें
3. डिजिटल रजिस्ट्री का बड़ा लक्ष्य
4. पुनःसर्वेक्षण: योजना की नींव
5. केंद्रीय कार्यक्रम से जुड़ाव
6. परीक्षा की दृष्टि से महत्व
7. आगे की राह
8. निष्कर्ष
9. मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
10. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
11. स्रोत

खबरों में क्यों

राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने 27 नवंबर 2026 को बताया कि राज्य में 18 माह के भीतर व्यापक भूमि-पुनःसर्वेक्षण (land resurvey) पूरा करने का लक्ष्य है; इसका पहला चरण उन 373 गाँवों में चल रहा है जिनके पास उचित नक्शे नहीं हैं, और इसे दिसंबर-अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। पुनःसर्वेक्षण के बाद किसानों को मुफ्त, जलरोधी और QR-कोड वाली पट्टादार पासबुक दी जाएगी; QR कोड स्कैन करने पर सर्वे नंबर, भूमि का विस्तार और भूमि-पार्सल का नक्शा दिखेगा, और एक ही पासबुक में कई सर्वे नंबर जुड़ेंगे। कृषि भूमि और आबादी/आवासीय संपत्ति के लिए अलग रंगों की पासबुक की भी योजना है।

27 नवंबर की एक रिपोर्ट में राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया कि पासबुक का डिज़ाइन अंतिम चरण में है। अधिकारी के अनुसार, 530 से अधिक गाँवों में सर्वे पूरा होने और दावे-आपत्तियों का समय दिए जाने के बाद पासबुक जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।

बुनियादी बातें: **पट्टादार पासबुक**: भूमि-मालिक (पट्टादार) को राजस्व विभाग द्वारा दी जाने वाली स्वामित्व-दस्तावेज़, जिसमें खाता, खसरा/सर्वे नंबर और भूमि का विवरण रहता है। **निर्देशांक**: किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति (अक्षांश-देशांतर आधारित)। **भूमि-पुनःसर्वेक्षण (resurvey)**: पुराने नाप-जोख के रिकॉर्ड को आधुनिक तकनीक से दोबारा मापना, ताकि सीमा-विवाद और रिकॉर्ड-अंतर घटें। **भुधार (Bhudhaar)**: तेलंगाना में हर सर्वे नंबर को दिया जाने वाला विशिष्ट पहचान नंबर। **DILRMP**: डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम , केंद्र सरकार का कार्यक्रम, जिसके तहत भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, नक्शों का डिजिटलीकरण और सर्वे-पुनःसर्वे किया जाता है।

योजना की मुख्य बातें

मंत्री के बयानों और रिपोर्टों के अनुसार योजना के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं।

बिंदु	विवरण
पासबुक की खासियत	मुफ्त, जलरोधी, QR-कोड वाली; QR स्कैन से सर्वे नंबर, विस्तार और भूमि-पार्सल का नक्शा; कई सर्वे नंबर एक ही पासबुक में (मंत्री, 27 नवंबर 2026)
रंग-भेद	कृषि भूमि और आबादी/आवासीय संपत्ति के लिए अलग रंगों की पासबुक की योजना
स्थिति	मंत्री के अनुसार पुनःसर्वेक्षण के बाद जारी होगी; राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार डिज़ाइन अंतिम चरण में
पुनःसर्वेक्षण	18 माह में पूरे राज्य का व्यापक resurvey; पहला चरण 373 गाँवों (उचित नक्शे रहित) में चल रहा, दिसंबर-अंत तक पूरा करने का लक्ष्य (27 नवंबर बयान)
राज्य का दायरा	राज्य में 10,954 राजस्व गाँव; पुनःसर्वेक्षण तीन चरणों में (मंत्री की 17 अक्टूबर 2026 ब्रीफिंग)
डिजिटल पहचान	हर सर्वे नंबर को विशिष्ट 'भुधार' नंबर; भू-भारती (Bhu Bharati) पोर्टल; राज्य में सर्वे नंबर 1948 के ~40 लाख से बढ़कर 2.29 करोड़ (17 अक्टूबर ब्रीफिंग)
केंद्र से जुड़ाव	DILRMP के पूरक के रूप में वर्णित
उपयोग	कृषि जैसे विभाग भूमि-डेटा और निर्देशांकों का उपयोग करेंगे; किसान कल्याण योजनाओं की वितरण और निगरानी

डिजिटल रजिस्ट्री का बड़ा लक्ष्य

पासबुक केवल एक दस्तावेज़ नहीं, एक व्यवस्था का हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे के आँकड़ों से एक व्यापक डिजिटल रजिस्ट्री बनेगी, जिसे किसी नोडल एजेंसी को सौंपा जा सकता है ताकि सर्वे-परिणामों का उपयोग योजनाओं की वितरण में हो। इसके संभावित लाभ।

- **लक्षित वितरण**: भूमि की प्रकृति और उपयोग दर्ज होने से उर्वरक, यूरिया और बीज जैसी सहायता सही लाभार्थी तक पहुँचाने में मदद।
- **योजना-निगरानी**: किसान कल्याण योजनाओं के भुगतान और पहुँच की समीक्षा वास्तविक भूमि-आँकड़ों से।
- **विवादों में कमी**: नक्शा और सर्वे-विवरण साफ होने से सीमा-विवादों का आधार कमजोर होता है।
- **अंतर-विभागीय उपयोग**: कृषि विभाग भूमि-डेटा से फसल-योजना, सिंचाई और बीमा जैसे काम जोड़ सकता है।

पुनःसर्वेक्षण: योजना की नींव

नई पासबुक की भरोसेमंदी सर्वे की सटीकता पर टिकी है। मंत्री के 27 नवंबर के बयान के अनुसार 18 माह में पूरे राज्य का व्यापक पुनःसर्वेक्षण करने का लक्ष्य है; पहला चरण 373 गाँवों में चल रहा है , वे गाँव जिनके पास उचित नक्शे नहीं हैं , और इसे दिसंबर-अंत तक पूरा करना है। मंत्री की 17 अक्टूबर की ब्रीफिंग के अनुसार राज्य में 10,954 राजस्व गाँव हैं, पुनःसर्वेक्षण तीन चरणों में होगा, हर सर्वे नंबर को एक विशिष्ट 'भुधार' नंबर मिलेगा और काम भू-भारती पोर्टल से जुड़ा है; राज्य में सर्वे नंबरों की संख्या 1948 के लगभग 40 लाख से बढ़कर 2.29 करोड़ हो चुकी है।

PCSMANTRA.COM

सर्वे पूरा होने के बाद दावे और आपत्तियों के लिए समय दिया जाता है। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 530 से अधिक गाँवों में सर्वे पूरा हो चुका है और दावे-आपत्तियों का समय दिया गया है; वहाँ पासबुक जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। मंत्री की 17 अक्टूबर ब्रीफिंग में सर्वे पूरा होने का आँकड़ा 285 गाँव था। 530 से अधिक गाँवों का नया आँकड़ा अधिकारी के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है; इसका समर्थन करने वाला आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं मिला है।

केंद्रीय कार्यक्रम से जुड़ाव

यह कदम केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के पूरक बताया गया है। DILRMP के तहत भू-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, रिकॉर्ड-नक्शों का डिजिटलीकरण, सर्वे और रिकॉर्ड के रियल-टाइम अद्यतन की व्यवस्था चलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व-कार्ड के लिए चल रही स्वामित्व योजना (ड्रोन-आधारित सर्वे) इसी बड़ी दिशा का दूसरा उदाहरण है , उस पर pcsmantra का लेख पहले से उपलब्ध है। तेलंगाना की पासबुक की खासियत यह है कि वह QR कोड के जरिए नक्शा और भूमि-विवरण को सीधे स्वामित्व-दस्तावेज़ में जोड़ रही है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

प्रिलिम्स तथ्य: राज्य (तेलंगाना), पासबुक की विशेषताएँ (मुफ्त, जलरोधी, QR कोड; कई सर्वे नंबर एक पासबुक में; कृषि और आबादी के लिए अलग रंग), पुनःसर्वे के आँकड़े (18 माह का लक्ष्य; पहला चरण 373 गाँव; राज्य में 10,954 राजस्व गाँव; तीन चरण), भुधार और भू-भारती पोर्टल, DILRMP से जुड़ाव , सीधे पूछे जा सकने योग्य।

मेंस कोण: ई-गवर्नेंस से सेवा-वितरण में सुधार; भू-अभिलेख आधुनिकीकरण की चुनौतियाँ (राज्य-स्तरीय कानून, सर्वे-क्षमता, आपत्ति-निपटान); डेटा-आधारित कृषि नीति। (GS-2: ई-गवर्नेंस और सेवा-वितरण; GS-3: भू-सुधार, कृषि बुनियादी ढाँचा।)

आगे की राह

नज़र रखने योग्य: पहले चरण (373 गाँव) का दिसंबर-अंत तक पूरा होना, पासबुक वितरण की औपचारिक शुरुआत और डिज़ाइन की अंतिम घोषणा; नोडल एजेंसी का नाम और डिजिटल रजिस्ट्री का ढाँचा।

चुनौतियाँ: आपत्तियों का निपटारा, सर्वे की गुणवत्ता, और गोपनीयता , भूमि-डेटा के सार्वजनिक स्कैन से जुड़े सुरक्षा मानक।

अनुकरण: अन्य राज्य इस मॉडल को अपनाते हैं या नहीं , DILRMP के तहत अंतर-राज्य तुलना संभव होगी।

निष्कर्ष

तेलंगाना की नई पट्टादार पासबुक भू-अभिलेख को 'कागज़ से नक्शे तक' ले जाने की कोशिश है। परीक्षा के लिए तीन बातें: क्या है (मुफ्त, जलरोधी, QR-कोड वाली पासबुक), कैसे बनेगी (पुनःसर्वे, दावे-आपत्ति, डिजिटल रजिस्ट्री), और किस बड़ी दिशा का हिस्सा है (DILRMP और ई-गवर्नेंस)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. "डिजिटल भू-अभिलेख केवल रिकॉर्ड-सुधार नहीं, सेवा-वितरण का आधार हैं।" तेलंगाना की पट्टादार पासबुक पहल के आलोक में टिप्पणी कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

▼ **उत्तर की रूपरेखा**

भूमिका में: तेलंगाना की QR-कोड वाली पासबुक और व्यापक पुनःसर्वेक्षण की पहल (राजस्व मंत्री के 27 नवंबर 2026 के बयान) का संक्षिप्त परिचय; DILRMP से जुड़ाव।

मुख्य भाग में: कथन की पुष्टि: सटीक भूमि-डेटा से लक्ष्यित वितरण (उर्वरक, बीज, बीमा), योजना-निगरानी, विवादों में कमी, अंतर-विभागीय उपयोग; डिजिटल रजिस्ट्री और नोडल एजेंसी की संभावना; भुधार जैसी विशिष्ट पहचान की भूमिका। संतुलन/चुनौतियाँ: सर्वे-गुणवत्ता और आपत्ति-निपटान, गोपनीयता और डेटा-सुरक्षा, कानूनी पहचान (रिकॉर्ड बनाम स्वामित्व का अंतर), क्षमता-निर्माण। अन्य राज्यों के लिए सीख।

निष्कर्ष में: 'रिकॉर्ड से सेवा तक' की कड़ी को सुधार की असली कसौटी बताते हुए समापन।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: तेलंगाना सरकार पुनःसर्वेक्षण के बाद किसानों को मुफ्त, जलरोधी और QR-कोड वाली पट्टादार पासबुक देने की तैयारी में है; पुनःसर्वेक्षण का पहला चरण 373 गाँवों में चल रहा है और 18 माह में पूरे राज्य का सर्वे करने का लक्ष्य है। यह पहल DILRMP की पूरक बताई गई है।

प्रश्न 1. नई पासबुक में क्या खास होगा?

पासबुक मुफ्त, जलरोधी और QR-कोड वाली होगी; QR कोड स्कैन करने पर सर्वे नंबर, भूमि का विस्तार और भूमि-पार्सल का नक्शा दिखेगा, और एक ही पासबुक में कई सर्वे नंबर जुड़ेंगे। कृषि और आबादी/आवासीय संपत्ति के लिए अलग रंगों की पासबुक की योजना है।

प्रश्न 2. पासबुक कब और कहाँ जारी होंगी?

मंत्री के 27 नवंबर 2026 के बयान के अनुसार पासबुक पुनःसर्वेक्षण के बाद जारी होगी; पहला चरण 373 गाँवों में चल रहा है, दिसंबर-अंत तक पूरा करने का लक्ष्य। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार डिज़ाइन अंतिम चरण में है और 530 से अधिक गाँवों में , जहाँ सर्वे पूरा हो चुका है और दावे-आपत्तियों का समय दिया गया है , जारी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है।

प्रश्न 3. इसका किसान को क्या लाभ होगा?

स्वामित्व-दस्तावेज़ में सटीक पहचान, विवादों में कमी, और योजनाओं (उर्वरक, बीज, भुगतान) की लक्ष्यित वितरण , क्योंकि विभाग भूमि के नक्शे, विस्तार और प्रकृति के डेटा का उपयोग कर सकेंगे।

स्रोत

1. मुफ्त, जलरोधी QR-कोड पासबुक; 18 माह में resurvey; पहला चरण 373 गाँव (मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, 27 नवंबर 2026) , Times of India: https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/telangana-govt-to-issue-जलरोधी-pattadar-passbooks-with-qr-codes-after-land-resurvey-says-minister-ponguleti/articleshow/136226025.cms
2. 18 माह में व्यापक land resurvey (मंत्री, 27 नवंबर 2026) , Deccan Chronicle: https://www.deccanchronicle.com/southern-states/telangana/telangana-to-complete-व्यापक-land-resurvey-in-18-months-ponguleti-2008646
3. 10,954 राजस्व गाँव; तीन चरण; भुधार; भू-भारती; सर्वे नंबर ~40 लाख (1948) से 2.29 करोड़ (मंत्री की 17 अक्टूबर 2026 ब्रीफिंग) , The Hindu: https://www.thehindu.com/news/national/telangana/व्यापक-telangana-land-resurvey-to-be-completed-in-three-phases-for-clear-ownership-rights-ponguleti/article71596164.ece
4. पासबुक डिज़ाइन अंतिम चरण में; 530+ गाँवों में जारी करने की प्रक्रिया (राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से, 27 नवंबर 2026) , The Hindu: https://www.thehindu.com/news/national/telangana/telanganas-new-pattadar-passbooks-to-have-unique-code-land-maps/article71750274.ece
5. DILRMP , भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (पृष्ठभूमि): https://dilrmp.gov.in/

PCSMANTRA.COM